



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211 001 (उ०प्र०)

दिनांक- 19.05.2017

विज्ञापित-42(47)

विज्ञापन सं०-47 के अन्तर्गत विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिशास्त्र पदों के सापेक्ष कुल प्राप्त 2967 आवेदन पत्रों के परीक्षण करने पर निम्नलिखित स्थिति पायी गयी-

1. लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह अभ्यर्थियों का विवरण-

(i). निम्न अभ्यर्थी जो राजनीतिशास्त्र विषय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 05 अगस्त, 2016 तक न तो नेट/सेट/स्लेट/परीक्षा उत्तीर्ण हैं और न ही पी-एच.डी./डी.फिल की उपाधि प्राप्त हैं, लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह पाये गये।

01 (474406171), 02 (474406996), 03 (474409188), 04 (474421465), 05 (474423639),
06 (474428376), 07 (474434226), 08 (474436854), 09 (474438250), 10 (474441709),
11 (474447012), 12 (474457861), 13 (474406261), 14 (474406909), 15 (474413290),
16 (474413459), 17 (474420707), 18 (474424589), 19 (474443409), 20 (474444056),
21 (474460714), 22 (474404855), 23 (474406204), 24 (474410277), 25 (474413886),
26 (474417535), 27 (474443176), 28 (474441893) (कुल 28)

(ii) (A) निम्न अभ्यर्थी जिनको स्नातकोत्तर परीक्षा में 55% से कम अंक प्राप्त है, लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह पाये गये।

01 (474412019), 02 (474416191), 03 (474419420), 04 (474423730), 05 (474426034),
06 (474433345), 07 (474435563), 08 (474445499), 09 (474446478), 10 (474457185),
11 (474459649), 12 (474460552), 13 (474410654) (कुल 13)

(B) अ.पि. वर्ग वर्ग व अनुसूचित जाति/जनजाति तथा शारीरिक विकलांग के स्नातकोत्तर परीक्षा में 50% से कम अंक होने पर अनर्ह- 73 (474414242) (01)


(iii) निम्न अभ्यर्थी जो उत्तम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं अर्थात् जिनको स्नातक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त नहीं है, लिखित परीक्षा हेतु अनर्ह पाये गये।

01 (474404516), 02 (474423764), 03 (474429294), 04 (474430066), 05 (474440629),
06 (474445499), 07 (474447307), 08 (474452163), 09 (474453947), 10 (474456258),
11 (474403917), 12 (474404387), 13 (474412064), 14 (474414146), 15 (474415586),
16 (474432639), 17 (474438570), 18 (474439106), 19 (47440414), 20 (474456996),
21 (474458737), 22 (474458768), 23 (474458918), 24 (474406650), 25 (474407889),
26 (474411040), 27 (474412223), 28 (474414375), 29 (474416063), 30 (474417658),
31 (474423855), 32 (474430003), 33 (474432297), 34 (474432426), 35 (474438189),
36 (474438265), 37 (474438342), 38 (474440051), 39 (474440736), 40 (474442986),
41 (474446393), 42 (474453110), 43 (474453772), 44 (474454178), 45 (474457412),
46 (474457616), 47 (474445323) (कुल 47)

2. औपबन्धिक रूप से लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण-

- (i) निम्न अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र कतिपय बिन्दुओं पर अपूर्ण होने पर इन्हें औपबन्धिक रूप से लिखित परीक्षा में भाग लेने हेतु इस शर्त के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाती है कि यदि इन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के उपरान्त साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड किया जाता है तो साक्षात्कार के समय इन अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त यू.जी.सी. द्वारा दी गयी न्यूनतम अर्हता धारित करने पर ही इनको साक्षात्कार में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
01 (474406180), 02 (474404625), 03 (474450582), 04 (474453520), 05 (474425198),
06 (474444761), 07 (474460808), 08 (474419123), 09 (474433256), 10 (474434068),
11 (474409328) 12 (474412645), 13 (474425930) 14 (474427330) (कुल 14)

3. शेष अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु अर्ह हैं।


(संजय सिंह)
सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी
